

# फर्द अहकाम

आगामी सख्त बनाम आर्य वर्मा

नाम न्यायालय

सहायक कलक्टर चौम

केस संख्या 35/2023

T. I.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04/7/23	<p>श्री एम. एल. डायना वकील ने प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया रिपोर्ट के मुताबिक कि सख्त वकील प्राथमिक सहायक सुनी गयी। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर है। डायनापत्र के आगामी तारीख पेशी तक जरूरी अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा इस कंडर पाबन्ड किया जाता है कि विवाहित आ. ख. नं. 1430/84 के कुल धिता 2 का कुल रकबा 2.82 है। भूमि वाले गाम स्याङ्ग तहसील चौम जिला जमपुर के मोर्चे में अस्थायी बनाये रखे। इसमें कोई आपत्ति है तो आगामी तारीख पेशी दिनांक 11/8/23 के पेश करें। प्रा. पत्र वकील को आदेशित किया जात है कि 03983 CPC के पालन करके सुनिश्चित करें। अप्राथमिक के तलबी जारी है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर चौम (जमपुर)</p>	
	19/7/23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक अधिवक्ता के उप. धेकर पत्रावली तलबी का पेश आगामी केस पर तलब के गयी। प्राथमिक अधिवक्ता ने प्रा. पत्र पत्रा के पेश कर निषेध fund किया कि प्रकरण में आगे कोई आश्चर्य नहीं चाहते है। लोक अदालत के आगामी से राजीनामा ले गयी है। प्रा. पत्र पत्रावली के अवलोकन किया गया।</p>	<p style="text-align: right;">(Signature) 19/7/23</p>


# फर्द अहकाम

बनाम

Ready

Registered by...

नाम न्यायालय  
केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>प्रा. पत्र विद्वा स्वीकार किया जाता है।                      प्रार्थी के पहलाग को अधिवक्ता एफ                      एल. दामन ने कि। पत्रावली कमल                      कुमार देकर टर्न नम्बर ल कर धी                      दामिल इपस्टर बरि</p> <p style="text-align: center;">                       सहायक कलक्टर                      चम्पू (जयपुर)                 </p>	